न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28/2021 बउनवानी प्रियंका गोत्तम बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अधिकारी संस्थापन अनुभाग पत्नि श्री देयप्रिय गौत्तम जाति ब्राहामण निवासी 1/506,हाउसिंग बोर्ड,स0मा0 **GCMS No-2021/69**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 1.3.2021 एवं 24.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जो अति. जिला कलेक्टर द्वारा जरिये पत्रांक 530 दिनांक 5.3.2021 को एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएें उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. देवप्रिय गौत्तम क0लि0 गोपनीय अनुभाग की 1.10.2020 से 1.3.2021 तक उपस्थिति रजिस्टर मे उपस्थिति की सत्यापित प्रति।
2. देवप्रिय गौत्तम द्वारा अपनी नियुक्ति के समय दिया गया शपथ पत्र दिनांक 14.3.2021 की सत्यापित प्रति।
3. प्रार्थीया द्वारा देवप्रिय के विरूद्व दी गयी शिकायते दिनांक 16.10.2020,16.12.2020 व अन्य की सत्यापित प्रति।
4. उपरोक्त शिकायतो पर की गयी कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि। यदि कार्यवाही नही की गयी हो तो उसका कारण स्पष्ट करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक प. 5(16)1/विविध/सूकाअ/स्था./2020/3580 दिनांक 1.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 1.3.2021 एवं 24.3.2021 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,3 एवं 4 की सूचना जो 33 पृष्ठो की है अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा कराने के उपरान्त दिनांक 23.3.2021 को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 2 पर चाही गयी सूचना (देवप्रिय गौत्तम द्वारा अपनी नियुक्ति के समय प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.3.2018 की सत्यप्रति चाही गयी है) अधिनियम की धारा 11(1) के तहत व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी मे होने (तृतीय पक्ष की होने) के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.3.2021 एवं 24.3.2021 को को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3,4 की सूचना कुल 33 पृष्ठों की प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी [illegible] सूचना अधिनियम की धारा 8 (ञ) एवं 11(1) के तहत वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की [illegible] रण गोपनीय माना गया है। उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय [illegible] केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभास चंद्र अग्रवाल मे [illegible] .11.2019 मे भी व्यक्तिगत सूचना किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नही करवाने बाबत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए [illegible] बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक [illegible] है। ऐसी स्थिति में अ[illegible]पीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:34 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर